ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(4)

आर0ई0आर0 केश सं0– 20 / 19–20

हरि प्रसाद राय बनाम् शंकर राय

–: आदेश :–

8.10.2022

वर्त्तमान वाद आवेदक हरि प्रसाद राय, पे0–गोलू राय, सा0–भंडारीडीह, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–भंडारीडीह, जमाबंदी नं0–62, दाग नं0–95, 277, 328, कुल रकवा–02–00–00 धूर भूमि से विपक्षी शंकर राय, पे0–पलटन राय, सा0–भंडारीडीह, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

शपथ पत्र सं0–23792, दिनांक–29.09.2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि प्रासंगिक भूमि से विपक्षी का कोई सरोकार नहीं है। विपक्षी द्वारा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी, महागामा द्वारा अपने पत्रांक–467 / रा0, दिनांक–05.03.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक भूमि खतियानी रैयत दरोगी राय वल्द लालू राय, किस्म– रैयत चौकीदारी जागीर के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत दरोगी राय के पोता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात तथा अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत विपक्षी को प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

18.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

18.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

31/12/22

11.01.23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:43:24 +05:30
Location: 192.168.8.107